अनुदान संख्या 7 - औषध विभाग
GRANT No. 7 - DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4088,69,00			
			4088,70,00	2978,79,56	-1109,90,44
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				958,27,80
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1,26,00			
			40,26,00	39,98,74	-27,26
पूरक	Supplementary	39,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				27,22

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5265.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5265.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	401546.00			
पू.	S.	1.00	310931.05	295768.93	-15162.12
पु.	R.	-90615.95			

(I) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹5266.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹4965.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "रासायनिक और औषधि उद्योग – दवा और औषधि" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान" – ₹2120.00 लाख; और

(खा) "जन औषधि योजना" – ₹2845.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि के अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "रासायनिक और औषधि उद्योग" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "दवा और औषधि" –

(क) "औषधि उद्योग का विकास" – ₹126267.43 लाख की बचत (₹130000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकमुश्त औषधि पार्कों के निर्माण की परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्ति में देरी

(I) Provision of ₹5266.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹4965.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Chemical and Pharmaceuticals Industries - Drug and Pharmaceutical" - under the following heads:-

(A) "National Institute of Pharmaceuticals Education and Research" - ₹2120.00 lakhs; and

(B) "Jan Aushadhi Scheme" - ₹2845.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Drugs and Pharmaceuticals" -

(a) "Development of Pharmaceuticals Industry" - saving of ₹126267.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130000.00 lakhs) was due to delay in

और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

obtaining environmental clearance for the project of creation of Bulk Drug Parks and non-submission of UC's by state implementing agencies.

(ख) "जन औषधि योजना" – ₹7272.05 लाख की बचत (₹22021.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जन औषधि केंद्रों के खुलने में कमी होने, विशेष श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग/पूर्व सैनिक, हिमालयी क्षेत्रों आदि से प्राप्त आवेदनों की कम संख्या होने तथा इन जन औषधि केंद्रों के मालिकों द्वारा बिल प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(b) "Jan Aushadhi Scheme" - saving of ₹7272.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22021.00 lakhs) was due to reduction in opening of Jan Aushadhi Kendras, less number of applications received from special category i.e. SC/ST/ Women/Divyang/Ex-Serviceman, Himalayan areas etc. and non-submission of bills by these JAK owners.

(ग) "फार्मा चिकित्सा–प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना (पीआरआईपी)" – ₹2656.47 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7500.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण और खरीद गतिविधियों के लिए निविदा प्रक्रिया में देरी और एनआईपीईआर द्वारा संविदा कर्मचारियों की भर्ती में विलंब होने के कारण हुई।

(c) "Promotion of Research and Innovation In Pharma Med-Tech (PRIP)" - saving of ₹2656.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7500.10 lakhs including token supplementary of ₹0.10 lakh obtained in December, 2024) was due to delay in tendering process for construction and purchase activities and delay in hiring of contractual staff by NIPERs.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–जन औषधि योजना (प्रधानमंत्री भारतीय जन–औषधि परियोजना)" – ₹882.47 लाख की बचत (₹2361.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जन औषधि केंद्रों के खुलने में कमी होने के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Janaushdhi Scheme (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushdhi Pariyojana)" - saving of ₹882.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2361.00 lakhs) was due to reduction in opening of Jan Aushadhi Kendras.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹802.85 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 37 प्रतिशत थी।

(III) Under two heads saving of ₹802.85 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituted 18 percent and 37 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹9330.68 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "2852" – "रसायन एवं औषधि उद्योग – दवा एवं औषधि – चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक

2.(I) The above savings were partly (₹9330.68 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "2852" -

अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹330.68 लाख था।

"Chemical and Pharmaceutical Industries - Drugs and Pharmaceuticals - Strengthening of Medical Device Industry". Actual excess, however, was ₹330.68 lakhs.

(II) बचत मुख्य शीर्ष "2852" – "रसायन और औषधि उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2852" - "Chemicals and Pharmaceutical Industries" - under the following heads:-

(का) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं" – ₹29028.70 लाख का अधिक व्यय (₹214300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और अधिक दावों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

(A) "Assistance to Industries/Companies - Production Linked Incentive Schemes" - excess of ₹29028.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹214300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of the scheme and receipt of more claims.

(खा) "दवा और औषधि – राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)" – ₹2246.39 लाख का अधिक व्यय (₹19080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Drugs and Pharmaceuticals - National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER)" - excess of ₹2246.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19080.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of the scheme and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹296.75 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹296.75 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹5.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹5.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads.